इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374] भोपाल, सोमवार दिनांक 24 जुलाई 2017—श्रावण 2, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्र. एफ ए 3-01-2016-1-पांच(74).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा समाधान चाहने वाले आवेदक को आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में, धारा 4 की उपधारा (1) अनुसार आवश्यक समाधान राशि के भुगतान के प्रमाण के साथ, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने की कालावधि को और 30 दिन की कालावधि के लिए बढ़ाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्र. एफ ए 3-01-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-01-2016-1-पांच(74), दिनांक 24 जुलाई, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 24th July 2017

No. F A 3-01-2016-1-V(74).—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public Interest,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Karon Ki Puranee Bakaya Rashi Ka Samadhan Adhyadesh, 2017, the State Government, hereby extend the period for a further period of 30 days, for the applicant desiring settlement, to apply to the competent authority, in the Form, as specified by the Commissioner, along with proof of payment, of requisite settlement amount as per sub-section (1) of Section 4.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.